कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क./4656 /एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ़, दिनांक 17/04/2021

– आदेश –

गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 24/03/2021 एवं गृह विभाग म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क. 35–09/2020/दो/सी–2 दिनांक 07/04/2021 में प्रदत्त निर्देशों एवं जिले में कोविड–19 संक्रमण की संख्या में हो रही बढोतरी को दृष्टिगत रखते हुये मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश क्र. 4568/एस.डब्ल्यू./2021 राजगढ दिनांक 13/04/2021 में निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ:–

1. कोरोना की स्थिति को देखते हुए दिनांक 19/04/2021 को प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 26/04/2021 के प्रातः 6.00 बजे तक पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों हेतु छूट दी गई है, उसे छोड़कर अन्य किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
2. कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुग्ध की आपूर्ति के लिये प्रातः 6.00 से 9.00 बजे तक एवं सायंकाल 5.00 बजे से 7.00 बजे तक छूट प्रदान की जाती है।
3. कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना, सब्जी, फल, केमिस्ट/दवाईयों की मात्र होमडिलेवरी/घर पंहुच सेवा हेतु छूट प्रदान की जाती है।
4. शादी समारोह, में 25+05(बैंड वाले) कुल 30 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें।
5. उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त सामूहिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजन प्रतिबंधित किये जाते हैं।
7. कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नालिखित गतिविधियों को भी कोरोना कर्फ्यू के बंधनों से मुक्त रखा जाता है–
   1. जिले में अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।
   2. केमिस्ट, न्यूज पेपर हॉकर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं ए.टी.एम. एवं मंडियां।
   3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन।
   4. सभी अनिवार्य बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
   5. एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, सेवाएं।
   6. समस्त कोविड वैक्सीनेशन कैंप (स्थाई/अस्थाई) एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी।
   7. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने–जाने वाले नागरिक।
   8. उर्पाजन एवं मंडी के कार्य में नियोजित व्यक्ति।
   9. औद्योगिक इकाईयॉ, कंपनियॉ एवं उनमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों, औद्योगिक मजदूरों एवं स्वास्थ्य सेवाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये किये जा रहे निर्माण कार्यो में लगे व्यक्तिओं के आने जाने के लिए आवागमन। इसके लिये संबंधित व्यक्ति को परिचय पत्र या संबंधित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
   10. पंजीकृत गैस एजेंसी के माध्यम से घरेलू गैस सिलेण्डर की आपूर्ति।

Scanned by CamScanner

11.आकस्मिक परिस्थितियों/चिकित्सकीय इमरजेंसी में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन (दो पहिया वाहन में एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में दो व्यक्ति की अनुमति होगी)।

12.सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

13.आई.टी कम्पनियों तथा बी.पी.ओ/मोबाईल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।

उपरोक्त समस्त गतिविधियों की अनुमति सख्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सेनेटाईजेशन, मास्क के अनिवार्य उपयोग पर ही प्रदाय होगी तथा उक्त प्रावधानों के उल्लंघन पर अधिकतम शास्ति/चालानी कार्यवाही की जावेगी।

14. शेष संपूर्ण आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
यह आदेश आज दिनांक 17/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

4657 दि० 17-4-2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबधित थाना प्रभारियों को आपके स्तर से भी कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त ....जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त .... जिला राजगढ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग राजगढ़ की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

Scanned by CamScanner